UPMP010007022026

न्यायालय Adj (POCSO)Act, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी- (CHETANA CHAUHAN), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP03843**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 304/2026

सुधील उर्फ सुधीश कुमार उम्र 29 वर्ष पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कुड़रिया थाना एलाऊ जिला मैनपुरी। **---प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **---विपक्षी/वादी**

मुकदमा अपराध सं०- 81/2018
धारा- 376D,356,323 **भा०दं०सं०**
थाना- एलाऊ, **जिला** मैनपुरी।

23.03.2026 **आदेश**

1- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 482 बी.एन.एस.एस. प्रार्थी/अभियुक्त सुधील उर्फ सुधीश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 81 सन् 2018, अन्तर्गत धारा 376D,356,323 भा०दं०सं०, थाना एलाऊ जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र समर्पित है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी रूबी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 09.02.2018 को मैं अपने मायके बैडी अलीपुर थाना बिल्होर (कानपुर देहात) से मैनपुरी दीवानी न्यायालय पर मुकदमा के सम्बन्ध में तारीख पर आयी थी। मेरे साथ मेरे पति राजाराम भी साथ में थे। न्यायालय के गेट पर मेरे पति सुशील, सुनील, अनिल ड्राइवर सुधील पुत्रगण शिव कुमार व मेरी जेठानी श्रष्टि पत्नी सुनील व दो अज्ञात लोग मिले, जिन्होने मेरे पिता से कहा कि घर पर चलो और समझौता कर लो। इन लोगो ने मेरे पिता व मुझे बहला फुसलाकर बुलेरो गाड़ी में बैठा लिया और किशनी रोड़ कुड़रिया की तरफ लाये , भांवत पुल से आगे गाड़ी रोककर मेरे पिता के सिर पर दो लोगो ने कट्टे लगा दिये व अनिल व सुनील ने मुझे बाल पकड़ कर गाड़ी से नीचे खींच लिया और जंगल की तरफ ले गये। मेरे साथ अनिल , सुनील व सुधील ने बारी बारी से दुराचार किया। मेरे पति खड़े देखते रहे। मुझे इन लोगो ने कुछ सुंघा दिया जिससे मैं बेहोश हो गयी और मेरे पास पाँच हजार रूपये व एक मोबाईल था जो इन लोगो ने ले लिया। मेरी मारपीट भी की जिससे काफी चोटे आयी है।

ये घटना समय शाम करीब 7 बजे की है। मेरे पिता मुझे जंगल की तरफ से पकड़ कर लाये । ये लोग गाड़ी लेकर भाग गये। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को उक्त केस में झूठी व मनगढ़ंत कहानी बनाकर रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाना एलाऊ में अपराध सं- 81/2018 , अंतर्गत धारा- 376D,356,323 भा०दं०सं० में प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त केस के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसेलनियस रिट पिटीशन सं- 24395/2018 दाखिल की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05.09.2018 को दौरान विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किये जाने तक प्रार्थी को गिरफ्तार न किये जाने हेतु आदेश पारित किया था, जिसके आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त केस की वादिनी द्वारा तथाकथित घटना के 7 दिन देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है, जो उक्त अपराध की श्रेणी में आता हो। उक्त केस वादिनी द्वारा प्रार्थी व उसके सगे भाई अनिल के विरूद्ध उक्त घटना कारित करना बताया है जबकि प्रार्थी व अनिल दोनों सगे भाई है, जिस कारण उक्त घटना दो सगे भाईयों द्वारा कारित किया जाना कतई सम्भव नहीं है। प्रार्थी अपगंता प्रमाण पत्र के आधार पर 75 प्रतिशत दिमागी तौर से बीमार है जिसका अभी भी इलाज चल रहा है जिसका प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त अपंग व्यक्ति इस प्रकार की घटना कारित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उक्त केस के वादी द्वारा उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी सज्जन परिवार का व्यक्ति है। प्रार्थी का भविष्य खराब करने के लिये यह झूठी एफ.आई.आर. प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज करायी है। प्रार्थी दौरान विवेचना भारत छोड़कर बाहर नहीं जायेगा। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा दी गयी अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का अक्षरसः पालन करेगा। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुये अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4– अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट कर बलात्कर करने के आरोप हैं। कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को यदि अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा तथा साक्षियों को डरायेगा व धमकायेगा।। अतः अभियोजन द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– पक्षकार अधिवक्ताओं को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ मारपीट कर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है। अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति का आरोप है। पीड़िता ने अपनी लिखित तहरीर इस तथ्य का कथन किया है कि अनिल व सुनील ने उसे बाल पकड़ कर गाड़ी से नीचे खींच लिया और जंगल की तरफ ले गये। उसके साथ अनिल, सुनील व **सुधील** ने बारी–बारी से दुराचार किया। उसकी मारपीट भी की जिससे काफी चोटें आयी है। थाना एलाऊ जिला मैनपुरी की रिपोर्ट मौजूद है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ,गुण–दोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सुधील उर्फ सुधीश कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कुड़रिया थाना एलाऊ जिला मैनपुरी का मुकदमा अपराध सं०– 81 सन् 2018, अंतर्गत धारा–376D,356,323 भा०दं०सं०, थाना एलाऊ, जिला मैनपुरी के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० –304/2026 निरस्त किया जाता है।

(चेतना चौहान)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अतिरिक्त रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट,
कोर्ट सं० –1, मैनपुरी।
(JO Code–UP03843)

<u>दिनाँकः 23.03.2026</u>

CHETANA CHAUHAN

Digitally signed by CHETANA CHAUHAN
Date: 2026.03.23 15:27:33 +0530